



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 23.11.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को चोरी किये गये माल के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 23.11.2023 को थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 274/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त अमित पुत्र बालकराम निवासी ग्राम नगला गुलाल थाना मऊदरबाजा जनपद फतेहगढ़ को चोरी किये गये माल 01 अदद AI कन्टेनर, 01 अदद कैची व 01 अदद फारसेप चिमटी व 3300 रुपये के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अमित पुत्र बालकराम नें पूछने पर बताया कि साहब मैं प्राईवेट तोर पर पशु चिकित्सालय शमसाबाद में जाकर काम करता रहता हूँ मैंने दिनांक 16/17.11.23 की रात्रि में पशु चिकित्सालय फैजबाग के कार्यालय की खिड़की का सरिया मोडकर अन्दर घूसकर अलमारी में रखे हुए लेवी, जेई व वर्सिम विक्री के पैसो करीब 15000 रुपये चोरी कर लिए उसके पश्चात दूसरे कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा AI कन्टेनर व सामान चोरी कर लिया था जैसे ही मुझ पता चला की थाने पर मुकदमा लिख गया है इसलिए सामान को हटाने व बेचने के लिए जा रहा था कि आपने पकड़ लिया । साहब गलती हो गई माफ कर दो अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अमित पुत्र बालकराम निवासी ग्राम नगला गुलाल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 274/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना शमसाबाद

बरामदगी का विवरण :- 01 अदद AI कन्टेनर, 01 अदद कैंची व 01 अदद फारसेप चिमटी व 3300 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह पटेल
3. का0 गौरव
4. का0 इन्द्रभान सिंह ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

थाना कमालगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1- विजयपाल पुत्र मैकूलाल 2- पंजाबी पुत्र मैकूलाल 3- रामपाल पुत्र कल्याण सिंह 4- रामदास पुत्र वीर सहाय (मृतक) समस्त निवासीगण देवधरापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 233/2002 वाद स०- 61/2003 धारा 302/ 34 ,307/34 ,504 भा०द०वि० थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहरीर बृजकिशोर



पैरोकार संजीव कुमार

थाना कमालगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पंजाबी पुत्र मैकूलाल निवासी देवधरापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 260/2002 वाद स०- 67/2003 धारा 25 ARMS ACT थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहरीर बृजकिशोर



पैरोकार संजीव कुमार



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामपाल पुत्र कल्याण सिंह निवासी देवधरापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 245/2002 वाद स०- 62/2003 धारा 25 ARMS ACT थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहिरर बृजकिशोर



पैरोकार संजीव कुमार



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.श्याम किशोर दुबे पुत्र रामकिशोर दुबे 2. जगत किशोर पुत्र रामकिशोर 3.रवि किशोर पुत्र रामकिशोर निवासी गण रजीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 99/2012 वाद स०- 32/2015 धारा 323,504,506,325 भा०द०वि० व 3(1)10 SC/ST Act थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2023 को मा०न्यायालय ए०डी०जे० द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 01-01 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 05 -05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहिरर बृजकिशोर



पैरोकार संजीव कुमार



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic





Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.श्याम किशोर दुबे पुत्र रामकिशोर दुबे 2. जगत किशोर पुत्र रामकिशोर 3.रवि किशोर पुत्र रामकिशोर निवासी गण रजीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 99/2012 वाद स०- 32/2015 धारा 323,504,506,325 भा०द०वि० व 3(1)10 SC/ST Act थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2023 को मा०न्यायालय ए०डी०जे० द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 01-01 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 05 -05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहरीर बृजकिशोर



पैरोकार संजीव कुमार



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice